निर्णय बईजलास डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0नं0 20 / अपील / 17 तारीख दायरा 04.10.2017

उनवान अपील

01. पवन कुमार पुत्र मांगीलाल जाति तेली नि0 कोटडी तहसील पिड़ावा
02. गीताबाई बेवा मांगीलाल उम्र 55 साल जाति तेली नि0 कोटडी तहसील पिड़ावा (अपीलान्ट्स)

बनाम

01. मांगीलाल पुत्र पन्नालाल जाति लुहार नि0 कोटडी तहसील पिड़ावा
02. दुर्गालाल पुत्र मांगीलाल लुहार नि0 कोटडी तहसील पिडावा
03. राधेश्याम पुत्र भैरूलाल जाति माली नि0 कोटडी तहसील पिड़ावा
04. पार्वतीबाई पत्नी राधेश्याम जाति माली नि0 कोटडी तहसील पिड़ावा
05. तहसीलदार पिड़ावा
06. राजस्थान सरकार जर्ये पेरोकार सरकार (रेस्पो0)

अपील बनाराजी इन्तकाल संख्या 962 दिनांक 25.06.2002 जो कि राजस्व केम्प कोटड़ी में खोला गया।

उपस्थितः– श्री ओंकारेश्वरम शर्मा अभिभाषक अपीलान्ट्स
श्री अशोक कुमार चौहान अभिभाषक रेस्पो0 1 व 2 की और से
श्री विनोद गोचर अभिभाषक रेस्पो0 3 की और से
पेरोकार सरकार

–: निर्णय :–

दिनांकः 07.05.2018

यह अपील अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार पिड़ावा के आदेश दिनांक 25.06.2002 जिसके द्वारा ग्राम कोटड़ी तहसील पिड़ावा की आराजी ख0न0 109 की 1 बीघा भूमि का इन्तकाल संख्या 962 तस्दीक किया गया से असन्तुष्ट होकर पेश की है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने अपील मेंमो में निवेदन किया है कि ग्राम कोटड़ी की आराजी ख0न0 109 रकबा 01 बीघा आराजी अपीलान्ट के पिता / पति मांगीलाल पुत्र देवलाल तेली व राधेश्याम पुत्र भैरू माली को 1/2–1/2 आंवटित हुई थी। आवंटन आदेश के तुरन्त बाद ही राजस्व अधिकारियों ने जल्दबाजी में इन्तकाल संख्या 962 खोलते हुए अपीलान्ट के पिता / पति मांगीलाल पुत्र देवीलाल तेली के स्थान पर मांगीलाल पुत्र पन्ना लुहार के नाम इन्तकाल खोल दिया जो गलत है। आवंटन आदेश पर मांगीलाल तेली व राधेश्याम माली के संयुक्त रूप से हस्ताक्षर है। अपीलान्ट के खाते की आराजी के पास खसरा न0 109 की आराजी पड़ती है इसलिये खसरा न0 109 की आराजी में से 10 बिस्वा आराजी मांगीलाल तेली को आवंटित हुई थी। इन्तकाल में इस त्रुटी का पता अपीलान्ट को राधेश्याम माली के दिनांक 06.06.2017 को आराजी के विभाजन का प्रा0पत्र प्रस्तुत करने पर चला। ग्राम कोटड़ी की उक्त आराजी पर 1/2 हिस्से तक इन्तकाल अपास्त किया जाकर अपीलान्ट के मृतक पिता / पति मांगीलाल पुत्र देवीलाल तेली का नाम दर्ज करने का अनुरोध किया गया है।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 1 व 2 की और से अभिभाषक श्री अशोक कुमार चौहान व रेस्पो0 3 की और से अभिभाषक श्री विनोद गोचर का वकालतनामा पेश हुआ व उपस्थित हुए ।

जिला कलक्टर
झालावाड़

हमने बहस उभय पक्ष सुनी। अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील मेंमों की पुष्टी करते हुए व्यक्त किया कि ग्राम कोटड़ी तहसील पिड़ावा की आराजी ख0न0 109 रकबा 01 बीघा आराजी अपीलान्ट के पिता/पति मांगीलाल पुत्र देवलाल तेली व राधेश्याम पुत्र भैरू माली को 1/2–1/2 आवंटित हुई थी। आवंटन आदेश के तुरन्त बाद ही राजस्व अधिकारियों ने जल्दबाजी में इन्तकाल संख्या 962 खोलते हुए अपीलान्ट के पिता/पति मांगीलाल पुत्र देवीलाल तेली के स्थान पर मांगीलाल पुत्र पन्ना लुहार के नाम इन्तकाल खोल दिया जो गलत है। आवंटन आदेश पर मांगीलाल तेली व राधेश्याम माली के संयुक्त रूप से हस्ताक्षर है। इन्तकाल दुरूस्त किया जावे। इस पर अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा व्यक्त किया कि उक्त शिविर में रेस्पो0 1 व 2 को भी आराजी का आवंटन किया गया था इस कारण इन्तकाल सही खोला गया है। इसी कम में अभिभाषक रेस्पो0 3 के द्वारा व्यक्त किया गया कि ख0न0 109 की 1 बीघा आराजी का आवंटन 1/2 भाग रेस्पो0 राधेश्याम व 1/2 भाग मांगीलाल को किया गया था मांगीलाल माली या मांगीलाल तेली किसको उसे जानकारी नही है। इन्तकाल दुरूस्त भी किया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नही है उक्त भूमि का विभाजन कराया जाकर उसके हिस्से की भूमि उसको दिलवाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। प्रकरण में केम्प शिविर ग्राम कोटडी दिनांक 25.06.2002 का प्रोसिडिंग रजिस्टर मंगाया जाकर उसका अवलोकन किया गया। प्रोसिडिंग रजिस्टर अनुसार कम संख्या 6 पर राधेश्याम व मांगीलाल तेली को ख0न0 109 की 1 बीघा भूमि संयुक्त रूप से आवंटन होना अंकन है। इसी तरह उक्त प्रोसिडिंग रजिस्टर के कम संख्या 7 पर मांगीलाल आ0 पन्ना लुहार को ख0न0 1241/1348 की 11 बिस्वा आराजी का आंवटन होना भी अंकन है। इस तरह यह साबित है कि ग्राम कोटड़ी की आराजी ख0न0 109 की 01 बीघा भूमि का आंवटन मांगीलाल आ0 देवीलाल व राधेश्याम आ0 भेरू माली को 1/2– 1/2 हिस्से का संयुक्त रूप से हुआ है। उपरोक्त विवेचन से आंवटन पश्चात खोले गये ग्राम कोटडी के इन्तकाल संख्या 962 की जांच करवाया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलान्ट को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पिड़ावा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार आवंटन पत्रावली व प्रोसिडिंग रजिस्टर का अवलोकन करें व बाद जांच यदि इन्तकाल दुरूस्ती योग्य पाया जावे तो विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार नवीन इन्तकाल तस्दीक करने की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार पिड़ावा को भिजवाई जावे। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.05.2018 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
झालावाड़

जिला कलक्टर
झालावाड़